| | | | |
|---|---|---|---|
| 5/2/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में साक्ष्य वादी साक्षी पत्नी [illegible] [illegible] कि [illegible] [illegible] | | [illegible] |

प्रकरण सं0

श्री.................................................... बनाम श्री....................................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| | प्रतिवादी पूर्व में एक तरफा कार्यवाही कि जा चुकी है। वादी का वादी दावा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज्ञापत्र पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर है। | |
| | उपखण्ड अधिकारी (राज.) | |

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

**: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :**

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–75/2022

**उनवान**

1. श्रीमती सोहनी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन गाडरी नि0 बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

....... वादीया

**बनाम**

1. गणेश लाल पुत्र श्री उदयराम गाडरी नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. नारायण लाल पुत्र श्री उदयराम गाडरी नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   2/1 श्रीमती नारायणी पत्नी स्व0 श्री नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   2/2 सांवर पुत्र स्व0 नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   2/3 मीठू पुत्र स्व0 श्री नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   2/4 विमला पुत्री स्व0 श्री नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु**

**उपस्थित :::–**

अधिवक्ता वादीगण –श्री प्रवीण चोरडिया उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01, 2/1 से 2/4 – अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 05–12–2024

वादी की ओर से श्री प्रवीण कुमार चौरडिया , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 05–12–2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 01 व 2/1 से 2/4 ने वादीगण की ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1691 रकबा 2.0232 हैक्टयर मे से रकबा 0.5563 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 0.5563 है0, भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 0.5563 है0 भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. सं. 01 व 2/1 से 2/4 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, हमीरगढ़ को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)

Scanned with CamScanner

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)**
**पीठासीन अधिकारीः – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)**
**प्रकरण संख्या :– 75/2022**

**उनवान**

1. श्रीमती सोहनी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन गाडरी नि0 बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

........ **वादीया**

**बनाम**

1. गणेश लाल पुत्र श्री उदयराम गाडरी नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. नारायण लाल पुत्र श्री उदयराम गाडरी नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) मृतक के बजाय कायम मुकाम–
   2/1 श्रीमती नारायणी पत्नी स्व0 श्री नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   2/2 सांवर पुत्र स्व0 नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   2/3 मीठू पुत्र स्व0 श्री नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
   2/4 विमला पुत्री स्व0 श्री नारायण गाडरी(पूर्बिया) नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

........ **प्रतिवादीगण**

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु**

**उपस्थित** :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री प्रवीण चोरडिया उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01, 2/1 से 2/4 – अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उप0

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक 05–12–2024**

यह है कि वादीया के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी सरहद यह है कि यह है कि सरहद यह है कि सरहद बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1691 सौलह सौ इकरानवे रकबा 2.0232 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादीया वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वादीया ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 18/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 31 इगतीस अगरत 2021 दो हजार इक्कीस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो को होने पर माह फरवरी 2022 दो

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो को होने पर माह फरवरी 2022 दो हजार बाईस मे प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 द्वारा वादीया की आराजी नम्बर 1691 सौलह सौ इकरानवे रकबा 2.0232 हैक्टयर मे से 0.5563 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 एंव 02 दो द्वारा कब्जा कर अपनी आराजीयात में मिला दिया, जिससे दिनांक 26 छब्बीस अप्रेल 2022 दो हजार बाईस को उक्त आराजीयात पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादीया की आराजी नम्बर 1691 रकबा 2.0232 हैक्टयर में से 0.5563 हैक्टयर भूमि जो कि मौका पर्चा में दर्शित कर रखी है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो का कोई हक अधिकार नही है। यह है कि वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित वादीया की आराजी नम्बर 1691 सौलह सौ इकरानवे रकबा 2.0232 हैक्टयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो द्वारा 0.5563 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक लगायत 02 दो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादीया ने दिनांक 20 बीस नवम्बर 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीया को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो वादीया के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो ने वादीया को धमकी दी कि वादीया की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कुछ नहीं बिगाड सकता है। इस कारण से वादीया को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद बरडौद पटवार हल्का बरडीद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1691 रकबा 2.0232 हेक्टयर में से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो द्वारा 0.5563 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीया को सिपुर्द कराया जाने न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1691 सौलह सौ इकरानवे रकबा 2.0232 हैक्टयर मे से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दो द्वारा 0.5563 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीया को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिक्री वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्ध सादिर फरमायी जाये।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 2/1 से 2/4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 2/1 से 2/4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीया ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादीया 1–श्रीमती सोहनी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन गाडरी नि0 बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 18/2021 पारित आदेश दिनांकित 31.08.2021 की आदेश की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

व पटवारी हल्का ने दिनांक 26-04-2022 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी । प्रदर्श-3 जमाबंदी संवत 2076-2079 की प्रति।

वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादीया के खाते मे चली आ रही है। उक्त भूमि के वादीया खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2076-2079 से होती है। पटवार हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 2/1 से 2/4 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवः

**-:: आदेश ::-**

अतः वादीया की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 व 2/1 से 2/4 ने वादीगण की ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडोद भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1691 रकबा 2.0232 हैक्टयर मे से रकबा 0.5563 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 0.5563 है0, भूमि का कब्जा पुनः वादीया को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 0.5563 है0 भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. सं. 01 व 2/1 से 2/4 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 05.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर हमीरगढ
जिला-भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner